संचिका सं0–7/MCH -35-31/2026-27-436/789

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–03/11/2026

विषय.– वित्तीय वर्ष 2026–27 में महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओ के लिए विद्यालय के ए०एन०एम० पाठ्यक्रम मे अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 **15,00,000/-** (रूपये पन्द्रह लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1017(1), दिनाक–30.11.2022 के आलोक मे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय के ए०एन०एम० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0011–महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, विपत्र कोड–20-2210-05-105-001। अंतर्गत छात्रवृति/वजिफा (34–01) मद मे बजट उपबंध/प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्या, एल०एच०भी० स्कूल, पटना सिटी होगे एव नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना होंगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि(2), दिनांक–17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सं०–7/MCH -35-31/2026-27 के पृष्ठ–10/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

3.11.26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 7/MCH -35-31/2026-27-..436(7B)/स्वा0, पटना, दिनाक.– 03/11/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्राचार्या, एल०एच०भी० स्कूल, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेंषेत।

प्रतिलिपि–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं सबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.11.26

सरकार के अपर सचिव

Digitally signed by
Shambhu Sharan
Date: 03-11-2026 17:45:18